भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 4993**
दिनांक 01.04.2025 को उत्तरार्थ

## पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनौतियां

**4993. श्री बृजेन्द्र सिंह ओलाः**

क्या**पंचायती राज**मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

**(**क) क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को वित्तीय समस्या सहित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ बनाने के लिए चालू वर्ष सहित विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पंचायत स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

पंचायती राज राज्यमंत्री

(प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

**(क) से (ग)** भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत, 'स्थानीय सरकार" होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को, संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों, जो राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाता है।भारत के संविधान का अनुच्छेद 243छ, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए तथा ऐसी स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए, किसी भी राज्य के विधान मंडल को, निर्दिष्ट शर्तो के अधीन, उचित स्तर पर पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए, कानून द्वारा, प्रावधानों को बनाने का अधिकार देता है। तदनुसार, पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करना, इनकी समस्याओं को हल करना तथा इन संस्थानों के द्वारा निर्णय लिए जाने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने सहित पंचायतों से संबंधित सभी मामले राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

जहां तक वित्तीय निहितार्थों का सवाल है, पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान 28 राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रदान किए जाते हैं, जिनमे राज्य की जनसंख्या (जनगणना-2011) पर भार 90 प्रतिशत और क्षेत्रफल पर भार 10 प्रतिशत होता है। आम तौर पर, 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग के अनुदानों

के आवंटन और जारी राशि के बीच का अंतर, राज्यों द्वारा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी परिचालन दिशा-निर्देशों में निर्धारित अनिवार्य शर्तों को पूरा न करने के कारण होता है।

संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रो में लागू किया है जिसका मुख्य उद्देश्य सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए अपनी शासन क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों को सक्षम बनाना है ताकि ग्राम पंचायतें प्रभावी ढंग से काम कर सकें | इस योजना के तहत, मंत्रालय ग्राम पंचायतों के प्रभावी कामकाज जैसे कि ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण, कंप्यूटर और उत्तर पूर्वी राज्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्राम पंचायत भवनों के साथ सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) का संयोजन के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सीमित पैमाने पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को बढ़ावा देता है, जैसा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी वार्षिक कार्य योजनाओं में प्रस्तावित किया और बाद में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। मंत्रालय इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्य योजना में अनुमोदित राज्यों, जिला और ब्लॉक स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाइयों (पीएमयू) की स्थापना के लिए संशोधित आरजीएसए की योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी सहायता प्रदान कर रहा है और पंचायतों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण का समर्थन करने के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के पंचायत संसाधन केंद्रों के रूप में संस्थागत तंत्र की स्थापना भी कर रहा है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान एक मांग-आधारित योजना है और योजना के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न घटकों के लिए राज्यों को धनराशि आवंटित की गई थी/है। योजना के तहत धनराशि जारी किया जाना विभिन्न कारकों जैसे पंचायत चुनाव का नियमित संचालन, वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करना, निधि जारी करने का अनुरोध, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध अव्ययित शेष धनराशि, उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि पर निर्भर करता है।

पंचायती राज मंत्रालय ई-पंचायतों हेतु मिशन मोड परियोजना (एमएमपी-ई-पंचायत) लागू कर रहा है, जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना का एक केंद्रीय घटक है, जिसके तहत पीआरआई के कामकाज में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए और इसके समग्र परिवर्तन के लिए विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को पंचायतों के डिजिटलीकरण की दिशा में वित्त पोषित किया जाता है। देश भर में पंचायती राज संस्थाओ के कामकाज को मजबूत करने के लिए, इस मंत्रालय ने एक उपयोगकर्ता के अनुकूल वेब-आधारित पोर्टल ई-ग्रामस्वराज (https://egramswaraj.gov.in) लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य विकेंद्रीकृत योजना, प्रगति रिपोर्टिंग, वित्तीय प्रबंधन, कार्य-आधारित लेखांकन और सृजित संपत्तियों के विवरण में बेहतर पारदर्शिता लाना है। यह पोर्टल सभी पंचायतों को प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदानों के उपयोग के लिए अपनी योजनाएं तैयार करने और अपलोड करने की सुविधा प्रदान करता है।पंचायतों द्वारा विधिवत अनुमोदित इन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी प्रत्येक चरण में सिस्टम जनित वाउचर, जियो-टैगिंग और पंचायत प्रधान तथा पंचायत सचिव को सौंपी गई जिम्मेदारियों के माध्यम से की जाती है।

राज्यों द्वारा पंचायती राज संस्थाओ को केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि के ऑनलाइन हस्तांतरण और पंचायतों को विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए

ई-ग्रामस्वराज पोर्टल को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ भी एकीकृत किया गया है। पंचायतें अपनी वार्षिक पंचायत विकास योजनाएँ तैयार करके ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड करती हैं। योजना वर्ष/वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, 2.54 लाख ग्राम पंचायतों ने अपनी वार्षिक विकास योजनाएँ (जीपीडीपी) तैयार की हैं और ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड की हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने पंचायत खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए ई-ग्रामस्वराज को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के साथ एकीकृत किया है। यह एकीकरण पंचायतों को "वोकल फॉर लोकल" पहल को बढ़ावा देते हुए ई-ग्रामस्वराज प्लेटफॉर्म के माध्यम से GeM द्वारा वस्तुएं और सेवाएं खरीदने की अनुमति देता है।

इसके अतिरिक्त, पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट और उनके वित्तीय प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन एप्लिकेशन- 'ऑडिटऑनलाइन' विकसित किया गया है। ऑडिटऑनलाइन पोर्टल, जो अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया, केंद्रीय वित्त आयोग के धन के उपयोग की पारदर्शी ऑडिटिंग की सुविधा प्रदान करता है और पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करता है। इसी प्रकार, पंचायत निर्णय (NIRNAY) एक ऑनलाइन एप्लिकेशन है जिसका उद्देश्य पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं के संचालन में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन लाना है।

***